मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी,
भोपाल – 462016

फोन: 0755 – 2430154, 2463585 फैक्स:– 0755–4004137

वैबसाईट:– www.mperc.in ई मेलः– secretary@mperc.nic.in

क्रमांक : /मप्रविनिआ/संचा. (टैरिफ)/2024/1214 भोपाल, दिनांक 22/05/2024

: सार्वजनिक सूचना :

विद्युत अधिनियम 2003 (क्र0 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(जेडडी) सहपठित धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन् टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 प्रस्तावित करता है । उक्त विनियम का प्रारुप आयोग की वैबसाईट www.mperc.in पर उपलब्ध है ।

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वे व्यक्ति जो उक्त विनियम पर सुझाव/टीप प्रस्तुत करना चाहें, वे आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को इस प्रकार भेज सकते है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर सुझाव/टीप आयोग कार्यालय पहुँच जायें। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित विनियम की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रू 200/– (रु. 2/– प्रति पृष्ठ) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के प्रदाय उपरांत प्राप्त की जा सकती है। यह प्रति डाक द्वारा रू 200/– (रु. 02/– प्रति पृष्ठ) + रु. 50/– डाक व्यय हेतु के भुगतान द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा **दिनांक 18.06.2024 को** प्रातः 11.00 बजे जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग को भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव